वर्ष 2010–2011 के अभिनव प्रयास एवं मुख्य उपलब्धियां

- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने एवं रोजगार की स्थिति को बेहतर बनाने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अनेक नए कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है। पूर्व के कार्यक्रमों को संशोधित कर उन्हे और अधिक प्रभावशील बनाने तथा विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण अंचलों में जन सुविधाओं का विस्तार, रोजगार के अधिकतम अवसर एवं गरीब परिवारों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु अनवरत प्रयास किये जा रहे हैं। प्रत्येक कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ मय मुख्य परिवर्तनों एवं परिवर्धनों के सम्बन्धित कार्यक्रम के विवरण में दी गई हैं। यहां वर्ष 2010–2011 में किये गये उन अभिनव प्रयासों एवं मुख्य उपलब्धियों का विवरण दिया जा रहा है जिनके फलस्वरूप विकास की प्रक्रिया में अनेक गुणात्मक एवं क्रियात्मक सुधार किये गये हैं, और उनके निरन्तर अच्छे परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत गुणवत्ता बढाने के उद्धेश्य से प्रति परिवार पूंजी निवेश निरंतर बढाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रति परिवार 25,000 रूपये पूजी निवेश के लक्ष्य के विपरीत राज्य में वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक प्रति परिवार पूंजी निवेश 33068/– रूपये रहा है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2010 तक 35795 स्वरोजगारियों को लाभान्वित कर 118.37 करोड रूपये का साख सृजन किया गया है।

- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत गरीब परिवारों के स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) को लाभान्वित करने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है। इस उद्धेश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक 2266 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया तथा अप्रैल, 1999 से माह दिसम्बर, 2010 तक कुल 211676 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है।

- स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के स्तर पर 15 प्रतिशत राशि विशेष परियोजनाओं हेतु आरक्षित है। इस राशि से ऐसी इनोवेटिव परियोजनाएं स्वीकृत की जाती है, जिनमें ग्रामीण गरीबों को संगठित करने, उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रोद्यौगिकी, विपणन, प्रशिक्षण आदि तथा उक्त सभी को मिलाकर दीर्घकालीन स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था हो। योजनान्तर्गत वर्तमान में 26 विशेष परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिनमे से 6 विशेष परियोजनाएं राज्य स्तरीय एवं 20 विशेष परियोजनाएं बहुराज्य स्तरीय हैं।

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना 1 अप्रैल 2008 से राज्य के सभी जिलों में लागू की गई है। वर्ष 2009–10 में 2, अक्टूबर, 2009 से इस योजना का नाम ''महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना'' कर दिया गया है।

- महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत माह दिसम्बर, 2010 तक 2490.95 करोड रूपये के व्यय से 2477.43 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है। योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु माह दिसम्बर, 2010 तक 92.82 लाख परिवारों को जॉबकार्ड जारी किया जा चुका है। माह दिसम्बर, 2010 तक इच्छुक 53.96 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

- वर्तमान में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत राज्य के जनजातीय क्षेत्र के समस्त पात्र परिवारों एवं शेष अन्य क्षेत्र के समस्त अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों का नवीन आवास निर्माण हेतु 50,000/– रूपये की अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अतिरिक्त सहायता 5000/– रूपये सम्मिलित है। वर्ष 2010–11 में योजनान्तर्गत 63362 नए आवासों के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2010 तक 26116 आवासों का निर्माण कराया गया है तथा 130 आवासों को कच्चे आवासों से पक्के आवासों में क्रमोन्नत कराया गया है।

- वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक डीडीपी योजना में 88.53 करोड़ रूपये एवं डी.पी.ए.पी. योजना में 10.99 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं।

- माननीय विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाये जाने हेतु क्रियान्वित विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक 97.96 करोड रूपये के व्यय से सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के 6676 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

- दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्‌देश्य से राज्य के 8 जिलों यथा सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बून्दी, बांरा, धौलपुर, भरतपुर एवं झालावाड में क्रियान्वित डॉग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक 2.37 करोड रूपये के व्यय से 32 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

- 5 जिलों यथा राजसमन्द, अजमेर, पाली, भीलवाडा एवं चित्तौडगढ़ जिले की 14 पंचायत समितियों में क्रियान्वित मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक योजना के तहत 1.96 करोड रूपये के व्यय से 50 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

- राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन (आर.आर.एल.पी.)–डी.पी.आई.पी.–II के प्रस्ताव विश्व बैंक से स्वीकृत कराये गये हैं। प्रस्तावित परियोजना से राज्य के 4 लाख बी.पी.एल. परिवारों को स्थाई जीविकोपार्जन के संसाधन एवं आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर इनका आर्थिक स्तर गरीबी रेखा से ऊपर उठाये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

- जोधपुर संभाग के 6 जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई.एफ.ए.डी.) की सहायता से मिटीगेटिंग पावर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (एमपॉवर) परियोजना स्वीकृत कराई गई है। इस परियोजना से उक्त संभाग के जिलों की 6 पंचायत

समितियों की 245 ग्राम पंचायतों के 1040 ग्रामों के लगभग 1 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जावेगा।

- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन पर विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक कुल 335.72 करोड़ रूपये की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समायोजन किया गया है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **"ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना"** वर्ष 2010–11 से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के क्रम में लागू की गई है।

- ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना में विकास कार्यो का चयन जन समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाकर कार्य करवाये जायेंगे। योजनान्तर्गत श्मशान एवं कब्रिस्तान भूमियों की चारदीवारियों का निर्माण प्रथम प्राथमिकता के रूप में करवाये जायेगें। श्मशान एवं कब्रिस्तान भूमियों का निर्माण 10 प्रतिशत जन सहयोग से सम्पादित करवाया जा सकता है। इस श्रेणी के किसी भी कार्य का प्रस्ताव जिले में न होने पर ही स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता के अन्य कार्य करवाये जा सकेंगे। जिसके लिये सामान्य क्षेत्र में 30 प्रतिशत जन सहयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में 20 प्रतिशत जन सहयोग उपलब्ध कराना होगा। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत उपलब्ध कराई जायेगी।

- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत राज्य के निर्वाचित जन प्रतिनिधि अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए अपनी अभिशंषा पर अधिक कार्य करवा सके इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विधायक कोष की राशि रूपये 80.00 लाख से बढाकर वर्ष 2010–11 में 1.00 करोड रूपये प्रति विधायक की गई है। राज्य में पेयजल की समस्या को देखते हुए

यह बढी हुई राशि जन प्रतिनिधि पेयजल संबंधी कार्यो पर ही उपयोग में ले सकेंगे।

- राज्य में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु बेहतर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में (RUDSETI) प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत अब तक 32 जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ कर दिये गये है एवं शेष 1 जिला बूंदी में प्रशिक्षण केन्द्र शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

- सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था लागू की गई है जिसके तहत वर्ष में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का प्रावधान किया गया है।

- राज्य स्तर पर विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले एवं गांवों का नियमित दौरा करने की व्यवस्था लागू की गई है। अधिकारियों को आवंटित जिलों में प्रत्येक माह में दो दिवसीय क्षेत्रीय निरीक्षण आवश्यक किया गया हैं इसी प्रकार जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर पदस्थापित विभागीय अधिकारियों के भी क्षेत्र निरीक्षण हेतु प्रावधान किया गया है। मुख्यालय के अधिकारियों एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट में कार्यक्रम के तहत पायी गई कमियों एवं आवश्यक सुझावों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लिये जाकर सम्बन्धित विभागों/जिलों को आवश्यक निर्देश दिये जाते है।

- विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं उनकी उपलब्धियों की जानकारी आमजन को उपलब्ध कराने हेतु विभागीय वेबसाईट **www.rdprd.gov.in** पर विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की मार्गदर्शिका, महत्वपूर्ण परिपत्र/आदेश, प्रगति आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

- विभाग द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम की जिलों से प्राप्त प्रगति के आधार पर विस्तृत समीक्षात्मक टिप्पणी तैयार कर जिलों को प्रेषित की जा रही है। इससे जिलों

को तुलनात्मक प्रगति जानने के अवसर के साथ—साथ उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हुई है। परिणामस्वरूप कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी हुआ है।

- मुख्यालय पर महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा हेतु प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की अध्यक्षता में साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक बैठकें आयोजित करने से महत्वपूर्ण मुद्दों के निस्तारण में तेजी आयी है।

उपलब्धियां — एक नजर में —

- रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत विभाग जहां एक ओर केन्द्र सरकार से अधिकतम संसाधन प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है तो वही दूसरी ओर क्षेत्रीय विषमताओं व असन्तुलन को दूर करने तथा जनता की भागीदारी के साथ गॉवों में आर्थिक विकास हेतु सुदृढ़ आधारभूत संसाधनों का सृजन करने के लिए राज्य सरकार से राशि जुटा रहा है।

- वर्ष 2009—2010 में विभाग की विभिन्न योजनाओं में केन्द्र सरकार से 557.42 करोड़ रुपये एवं राज्य सरकार से 403.12 करोड़ रुपये अर्थात कुल 960.54 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये हैं जिसके विपरीत कुल 965.87 करोड़ रुपये व्यय किये गये जो कुल प्राप्तियों का 100.55 प्रतिशत है। वर्ष 2009—2010 की योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति परिशिष्ठ— 1 एवं 2 पर उपलब्ध है।

- इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में वर्ष 2009—10 में 5669.05 करोड रूपये की राशि व्यय कर 4498.09 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है।

- वर्ष 2010—2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक विभिन्न केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र सरकार से 456.48 करोड रूपये एवं राज्य सरकार से 305.18 करोड रूपये अर्थात कुल 761.66 करोड रूपये की प्राप्तियों के विपरीत 575.55

करोड रूपये व्यय किये गये हैं। वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक की योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति परिशिष्ट– 3 एवं 4 पर उपलब्ध है।

- इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक 2490.95 करोड रूपये की राशि व्यय कर 2477.43 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है।

स्वर्णजयंयी ग्राम स्वरोजगार योजना से मिला असहाय महिलाओं को रोजगार

यह घटना राजसमन्द जिले की कुम्भलगढ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत, गवार के ग्राम गवार की है। यह क्षेत्र काफी पिछडा हुआ है तथा विशेषतः महिलाएं काफी पिछडी हुई हैं। यहां की महिलाएं खेतों में फसल की बुवाई तथा कटाई के समय कार्य कर कुछ आमदनी करती थी एवं वर्ष के शेष समय में मात्र घर का कार्य करती थी। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इस कारण इनका सामाजिक स्तर काफी निम्न था तथा अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दिला पा रही थी। इनको रोजमर्रा की आवश्यकता पूर्ति हेतु इन्हें ऋण लेना पडता था।

स्वर्णजयंयी ग्राम स्वरोजगार योजना में ग्राम पंचायत गवार, पंचायत समिति कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द में महिलायों का स्वंय सहायता समूह

ग्राम सचिव द्वारा इस ग्राम की महिलाओं को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वंय सहायता समूह गठित कर स्वरोजगार की प्रेरणा दी गई। चयनित परिवार की 12 महिलाओं का समूह गठन किया गया, जिसका नामकरण रामदेव स्वंय

सहायता समूह रखा गया। इस समूह की अध्यक्ष श्रीमती अणछी बाई तथा श्रीमती राधा देवी मेघवाल को सचिव चुना गया। प्रत्येक सदस्य ने रू0 50/– प्रतिमाह बचाकर आपस में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लेन–देन किया तथा बैंक में खाता खुलवा कर विकास अधिकारी एवं संबंधित बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा समूह की प्रथम ग्रेडिंग की गई तथा रू0 25,000/– का रिवाल्विंग फण्ड दिया गया। महिला समूह ने सिलाई व्यवसाय में अपनी रूचि दिखाई तथा सिलाई व्यवसाय करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। कुछ समय पश्चात समूह की द्वितीय ग्रेडिंग कराकर सिलाई कार्य हेतु रू0 2.40 लाख की परियोजना तैयार कर बैंक से ऋण स्वीकृत कराया, जिसमें जिला परिषद राजसमन्द द्वारा रू0 1.20 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया। सभी 12 सदस्यों को सिलाई कार्य का प्रशिक्षण पंचायत समिति द्वारा दिलाया जाकर सिलाई मशीन एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई।

प्रारम्भ में ग्रांव के लोगों ने महिला समूह की सदस्यों को हतोत्साहित कर मनोबल तोडने की कोशिश की परन्तु सभी महिला सदस्यों की दृडइच्छा शक्ति के कारण समूह को आय का साधन प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सका। जब समूह में सिलाई मशीन एवं अन्य सामग्री एवं महिलाओं ने अपना कार्य प्रारम्भ किया ता गांव के सभी लोगों ने सराहना की। सिलाई कार्य करने से महिलाओं की आमदनी बढने से परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में परिवर्तन तो हुआ ही है साथ ही महिलाओं में आत्मविश्वास एवं जागृति उत्पन्न होने से वो अपने बच्चों को पढने हेतु पाठशाला भी भेज रही है।

इस महिला समूह की सफलता से गांव में 8 अन्य समूह भी स्वप्रेरणा से बने है तथा गांव की महिलाओं में नये उत्साह का संचार हुआ है तथा आगे बढने की प्रेरणा मिली है।

एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत डेयरी व्यवसाय, स्वयं सहायता समूह कंथारिया

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत ग्राम कंथारिया पंचायत समिति झाड़ोल में 12 व्यक्तियों ने दिनांक 15.4.2000 को समूह का गठन किया। समूह द्वारा पंजाब नैशनल बैंक शाखा झाड़ोल में खाता खुलवाया गया जिसमें प्रतिमाह प्रति सदस्य 10 रुपये बचत राशि जमा कराई गई। गठन के 7 माह पश्चात् समूह के पदाधिकारी श्री कन्हैयालाल द्वारा पंचायत समिति झाडोल कार्यालय से सम्पर्क किया गया। विकास अधिकारी द्वारा समूह की प्रथम ग्रेडिंग दिनांक 5.7.2002 को की गई जिसमें समूह ने 74 अंक प्राप्त किये।

प्रथम ग्रेडिंग उत्तीर्ण होने पर जिला परिषद उदयपुर द्वारा स्वर्णजयंति ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत 10000/–रूपये के रिवाल्विंग फण्ड की राशि समूह को उपलब्ध करावायी गई एवं पंजाब नेशनल बैंक शाखा झाडोल द्वारा 20000/–रुपये का ऋण वितरित किया गया।

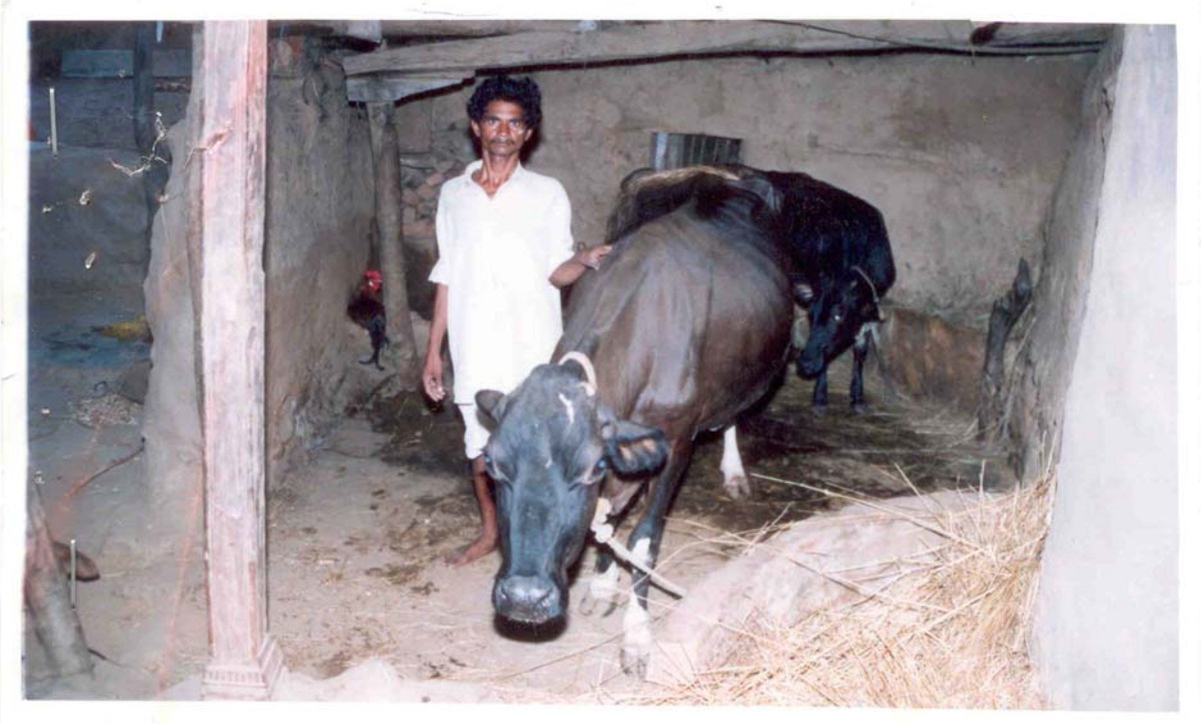

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत पंचायत समिति झाडोल, जिला उदयपुर में स्वयं सहायता समूह

समूह द्वारा स्वयं की बचत राशि 10000/- रूपये रिवाल्विंग फण्ड 10000/- रूपये एवं बैंक ऋण 20000/- रूपये अर्थात कुल 40000/- रुपये का आपसी लेन देन एवं सदस्यों की छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाने लगी।

समूह द्वारा आपसी लेन देन सही किये जाने से पंचायत समिति द्वारा समूह की द्वितीय ग्रेडिंग दिनांक 17.10.2002 को की गई जिसमें समूह 84 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुआ। उत्तीर्ण होने के उपरान्त समूह द्वारा डेयरी व्यवसाय हेतु ऋण आवेदन पत्र पंचायत समिति में प्रस्तुत किया गया। पंचायत समिति द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पंजाब नेशनल बैंक झोडोल में भेजी गई बैंक द्वारा 3.00 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया एवं ए.जी.एस.वाई. योजनान्तर्गत 1.20 लाख रूपये का अनुदान स्वीकृत किया गया।

दिनांक 12.6.2003 को बैंक द्वारा समूह को प्रथम डोज का 1.50 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया जिससे समूह द्वारा 12 जर्सी गायें खरीदी गई।

सभी सदस्यों ने गायों से प्राप्त दूध को ढीमडी दुग्ध उत्पादक समिति जो सरस डेयरी से संचालित है, में बेचना प्रारम्भ किया।

दूध विक्रय से समूह को बैंक ऋण एवं अन्य खर्चे का चुकारा करने के पश्चात लगभग 18500/- रूपये की प्रतिमाह बचत होने लगी एवं अन्य उत्पाद से लगभग 2400/- रुपये की आय होने लगी। इस प्रकार समूह के सदस्यों को कुल 20900 रुपये की आय होने से प्रति सदस्य लगभग 1750/- रूपये की प्रतिमाह आय में वृद्धि हुई है।

समूह द्वारा बैंक ऋण 65000/- रुपये एवं ब्याज 12360/- रुपये का भुगतान बैंक में जमा करवा दिया गया है। सभी सदस्यों की आय में वृद्धि होने से सदस्यों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है एवं सभी सदस्यों के परिवार में खुशहाली आयी है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी का निर्माण

कोटा जिले की पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत मांदलिया के ग्राम जोधपुरा में पीने के पानी की व्यवस्था ट्यूबवैल से की गई थी। किन्तु ट्यूबवैल से ग्राम वासियों को पानी समय पर एवं बाधा रहित उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसका मुख्य कारण कभी बिजली का गुल रहना या बिजली आने के बाद ट्यूबवैल के पम्प का निरन्तर चलते रहना था। कभी–कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती थी कि ट्यूबवैल के लगातार चलते रहने के कारण पानी बेकार बहता रहता था। जिसका कोई उपयोग नहीं होता था। इस कारण बिजली व पानी दोनों ही उपयोगी एवं दुर्लभ साधनों का दुरूपयोग हो रहा था। ग्राम पंचायत ने इस दुरूपयोग को रोकने का मानस बनाया और ग्राम सभा बुलाकर उसमें प्रस्ताव लिया गया कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत 30 प्रतिशत पंचायत समिति मद से पंचायत समिति द्वारा पानी की टंकी का निर्माण करवाया जावे, तथा ट्यूबवैल से इस टंकी को भरा जावे।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत ग्राम पंचायत मांदलिया, पंचायत समिति लाडपुरा, जिला कोटा में पानी की टंकी का निर्माण

ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से सहमत हो पंचायत समिति लाडपुरा ने ग्राम जौधपुरा के लिये पानी की टंकी निर्माण हेतु 40,000/– रूपये की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 13.01.2004 को जारी की तथा टंकी निर्माण का कार्य 16.05.2004 को आरम्भ किया जाकर दिनांक 07.06.2004 को पूर्ण किया गया। इस प्रकार मात्र 22 दिन की अवधि में टंकी निर्माण

का कार्य पूर्ण किया गया। इस निर्माण कार्य में 40,000/– रूपये का व्यय हुआ जिसमें 106 मानव दिवस सृजित हुए एवं 1060 किलोग्राम गेहूँ मजदूरी के रूप में वितरित किया गया।

टंकी निर्माण से ग्राम जोधपुरा में गॉव वालों को सम्पूर्ण समय बाधा रहित पानी उपलब्ध होने लगा। अब उनको पानी संग्रह करने की आवश्यकता भी नहीं रही। इसके अलावा पशुओं के पेयजल तथा नहाने–धोने इत्यादि कार्यों के लिये भी पर्याप्त पानी उपलब्ध रहने से अब ग्रामवासियों को घर में पानी एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं रही और वे अन्य कार्यों को सम्पन्न करने में ज्यादा समय देने लगे। पानी की टंकी बनने से गॉव के लोगों के साथ–साथ स्कूली बच्चों को भी स्कूल में पेड पौधे लगाने तथा पीने के पानी की सुविधा प्राप्त हुई है। संक्षेप में पानी की टंकी के निर्माण से पानी, बिजली एवं समय सभी की बचत हुई है और ग्राम वासियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण

जयपुर जिले की पंचायत समिति, सांगानेर की ग्राम पंचायत भापुरा के ग्राम सिराणी में श्रीमती शांति देवी पत्नि बंसी सैन निवास करते हैं। इस परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। परिवार के पास आय का कोई स्थाई स्त्रोत न होने के कारण यह परिवार मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता रहा है। परिवार को कभी मजदूरी मिलती थी तो कभी खाली रहता था। ऐसी स्थिति में 6 सदस्यीय परिवार के लिये दो वक्त की रोटी का जुगाड भी मुश्किल से हो पाता था। इनके पास स्वयं का कोई भू–खण्ड भी नहीं था। अतः यह परिवार किसी सार्वजनिक जगह पर या मजदूरी स्थल पर रहकर समय निकाल रहा था। इस कमी को ग्राम पंचायत द्वारा इनको निशुल्क भू–खण्ड का आवंटन करके पूरा किया जिसमें ये धास–फूस की झोपडी बनाकर रहने लगे। सर्दी, गर्मी व वर्षा आदि प्रत्येक मौसम में इन्हे शारिरिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पडता था। इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आवास का निर्माण भी नहीं कर पा रहे थे।

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत भापुरा, पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर में श्रीमति शांति देवी को आवंटित आवास

श्रीमती शांति देवी का परिवार बी.पी.एल. में चयनित था। इनको ग्राम के सरपंच एवं पंचायत सचिव ने सरकार द्वारा क्रियान्वित इन्दिरा आवास योजना की जानकारी दी। परिणामस्वरूप श्रीमती शांति देवी एवं उसका पति इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान निर्माण का सपना संजोये ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित हुए तथा अपने परिवार के लिये एक छोटा सा आवास निर्माण करवाने हेतु सहायता की मांग की। ग्राम पंचायत ने श्रीमती शांति देवी की आवास की समस्या से सहमति जताई तथा इस परिवार को इन्दिरा आवास योजना में आवास निर्माण हेतु चयन किया गया। परिणामस्वरूप वर्ष 2003–2004 में इन्हे इन्दिरा आवास योजना में मकान निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर 20000/–रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई। श्रीमती शांति देवी व उसके पति ने मकान निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया तथा सहायता के रूप में मिली राशि से सामग्री क्रय की गई एवं पति पत्नी दोनों ने मजदूरी करके अपने स्वयं के आवास निर्माण के स्वप्न को साकार किया।

मकान निर्माण के बाद श्रीमती शांति देवी, उनका पति एवं 4 बच्चे जो अभी तक खुले में घास–फूस की झाोपडी में रहते थे। अब आराम से धूप, वर्षा आदि की चिन्ता किये बिना पक्के आवास में रहने लगे। अब उनका धरेलू सामान भी सुरक्षित रहने लगा एवं उनका सामाजिक स्तर भी ऊँचा हुआ। इन्दिरा आवास योजना ने श्रीमती शांति दवी के आवास के स्वप्न को साकार किया।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण

आवास मानव की आधारभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान में से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस आवश्यकता से श्रीमती वाली पत्नी दलजी, ग्राम घुवेड़, ग्राम पंचायत घुवेड़, पंचायत समिति सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर का परिवार वंचित था तथा स्थायी बसेरे के रुप में केवल घास फूस की झोंपडी में निवास करने को बाध्य था। इससे श्रीमती वाली अपने परिवार को तो असुरक्षित महसूस कर ही रही थी साथ ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं के अलावा खाद्यान भी सुरक्षित रख पाना संभव नहीं

था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आवास निर्माण की कल्पना करना भी उनके लिये कठिन था। उसने इस समस्या से ग्राम पंचायत घुवेड़ के सरपंच एवं सचिव को अवगत करवाया। ग्राम पंचायत के सचिव ने श्रीमती वाली दम्पत्ती को अवगत करवाया कि आपका बी.पी.एल. सूची में चयन होने के कारण इन्दिरा आवास योजना में आवास निर्माण हेतु सरकार से राशि उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसके लिये उन्हे ग्राम सभा की आगामी बैठक में भाग लेने हेतु कहा गया। श्रीमती वाली ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बताई गयी तिथि को ग्राम सभा की बैठक में अपने पति के साथ उपस्थित हुई तथा उसने इन्दिरा आवास योजना में अपने लिये नवीन आवास निर्माण की स्वीकृति हेतु निवेदन किया। ग्राम सभा में उनका बी.पी.एल. सूची में क्रम संख्या 499 पर चयनित होने तथा अनुसूचित जन जाति की महिला होने के साथ साथ उसकी आवास समस्या को जायज मानते हुए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध करवाने की स्वीकृति प्रदान की। ग्राम सभा में आवास स्वीकृति पश्चात श्रीमती वाली ने तय किया कि वह स्वयं व उसका पति मकान बनाने के लिये स्वयं मजदूरी करेंगे और सरकार से प्राप्त राशि से अच्छी सामग्री लाकर टिकाऊ एवं सुन्दर मकान का निर्माण करायेंगे।

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत पंचायत समिति सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर में
श्रीमती वाली पत्नि दलजी को आवंटित आवास

श्रीमती वाली को आवास स्वीकृत होने पर मकान निर्माण का कार्य प्रारम्भ किये जाने पर प्रथम किश्त दिनांक 18.11.2004, द्वितीय किश्त दिनांक 28.12.2004 एवं तृतीय किश्त दिनांक 25.3.2005 को स्वीकृत की गई। प्राप्त राशि 20,000/— रूपये से तथा स्वयं की मेहनत मजदूरी से मकान निर्माण का कार्य दिनांक 31.3.2005 को पूर्ण किया गया। निर्माण में 55 मानव दिवसों का रोजगार सृजन हुआ।

मकान निर्माण के बाद श्रीमती वाली उनका पति एवं बच्चे जो अभी तक खुले में घास—फूस की झोंपडी में रहते थे अब आराम से धूप वर्षा आदि की चिन्ता किये बिना पक्के आवास में रहने लगे। अब उनका घरेलू सामान भी सुरक्षित रहने लगा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में बढोतरी होने के साथ साथ वह मकान का ताला बन्द कर मेहनत मजदूरी के लिये भी जाने लगी जिससे उसकी आय में वृद्धि होने से बच्चों की पढाई लिखाई एवं जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। इन्दिरा आवास योजना ने श्रीमती वाली के आवास के स्वप्न को साकार किया।

फूटेला नहीं रहा, पीपलवास की पुरानी पहचान लौटी

उदयपुर जिले की गिर्वा पंचायत समिति अन्तर्गत पीपलवास गॉव में छितरायी आदिवासी आबादी वाले इस क्षेत्र में नहाने–धोने, पशुओं के पेयजल और शुभाशुभ सामाजिक रस्मों तक के लिये पास में कोई जलाशय नहीं था और इस मायने में ये आदिवासी बस्तियां अभिशिप्त थी। गॉव के बडे बुजुर्गों के अनुसार किसी जमाने में यहां एक नाडी हुआ करती थी। कालान्तर में नाडी क्षतिग्रस्त होने के बाद से पीपलावास को ''फुटेला'' के नाम से जाना जाने लगा। बस्ती के आस–पास जलाशय की जरूरत को पीपलवास के बाशिन्दे अर्से से महसूस करते रहे। पशुओं के लिये पानी की भारी समस्या थी।

उदयपुर जिले की पंचायत समिति गिर्वा के गॉव पीपलवास में नाडी निर्माण

जलग्रहण विकास कार्यों को क्षेत्र में आरम्भ किये जाने की जानकारी प्राप्त होते ही ग्रामीणों ने क्षेत्रीय जलग्रहण समिति के अध्यक्ष से सम्पर्क साधा। जलग्रहण विकास दल ने काम हाथ में लेकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से नाडी निर्माण कार्य, 36,000/–रूपये की लागत से 707 श्रम दिवस में पूरा कर लिया। तब से गॉव के लोगों का सपना फिर आकार लेने लगा। पहली ही बारिश में नाडी लबालब हुई तो जलक्रीडा करते बच्चों की किलकारियां गॉव में गॅूजने लगी। पशुओं को तृप्त देख गॉव वासियों के हृदय उल्लास से भर उठे। यही नहीं, क्षेत्र के किसानों की खेतीबाडी भी बरकत देने लगी क्योंकि अब कृषक अपने खेतों में सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि निचले हिस्सों में धान की फसल भी लेने लगे हैं। आस–पास के कुओं का जलस्तर बढ़ने से उपजाऊ मिट्टी के बहाव और भू क्षरण पर भी अंकुश लगा है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत कक्षा कक्ष एवं बरामदा निर्माण

ग्राम पंचायत दादिया का गॉव खेडी गोकुलपुरा पंचायत समिति सांगानेर जयपुर मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गॉव में लगभग 200 परिवार निवास करते हैं तथा यहां एक प्राथमिक विद्यालय था जिससे गॉववासियों के बच्चों को आगे अध्ययन करने के लिये अन्यत्र जाना पडता था। इसलिये राज्य सरकार द्वारा ग्राम वासियों की मांग तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया। इससे गॉव के विद्यार्थी अन्यत्र जाने के बजाय गॉव के विद्यालय में ही अध्ययन हेतु प्रवेश लेने लगे, जिससे कक्षा 5 तक के लिये बने कक्षा कक्ष में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को बैठाया जाने लगा तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिये कक्षा कक्ष का अभाव हो गया।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत दादिया के गॉव खेडी गोकुलपुरा, पंचायत समिति सांगनेर, जिला जयपुर में विधालय में कक्षा कक्ष एवं बरामदा निर्माण

कक्षाओं के लिये कमरों के अभाव के कारण छात्रों के लिये अध्ययन हेतु कोई स्थान नहीं होने के कारण वे शीतकाल, गर्मी व वर्षा ऋतु में खुले में बाहर पेडों के नीचे मैदान में बैठकर अध्ययन करने को मजबूर थे। ऐसी स्थिति में उन्हें काफी असुविधा होती थी तथा इससे उनका शिक्षण भी प्रभावित होता था। अध्यापन कार्य में व्यवधान से अध्यापकगण, ग्रामवासी एवं छात्र छात्राओं के अभिभावक सभी असंतुष्ट थे। ग्राम वासियों ने माननीय सांसद महोदय को स्कूल में कमरों की कमी से अवगत करवाया तथा इससे अध्ययन में होने वाले नुकसान से अवगत करवाया। तत्कालीन माननीय सांसद महोदय द्वारा ग्राम वासियों की मांग को उचित मानते हुए विद्यालय में 2 कमरे एवं बरामदा के निर्माण हेतु 3.00 लाख रूपये सांसद

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत निर्मित कराने की अनुशंषा की गई। अनुशंषा के आधार पर वर्ष 2001–2002 में 2 कमरे एवं बरामदा निर्माण की स्वीकृति तत्कालीन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा दिनांक 02.02.2002 को जारी की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02.12.2002 को कार्य प्रारम्भ करवाकर गॉव वालों की देखरेख में निर्माण कार्य करवाया गया जो दिनांक 31.05.2003 को पूर्ण हुआ। इस कार्य पर 3 लाख 233 रूपये का व्यय हुआ जिसमें से मजदूरी पर 89980/– रूपये तथा सामग्री पर 2,10,253/– रूपये व्यय किये गये।

उच्च प्राथमिक विद्यालय खेडी, गोकुलपुरा में 2 कमरे एवं बरामदा बनने से छात्रों के बैठने की सुविधा तथा अध्यापन कार्य सुचारू रूप से होने के कारण आस–पास के गॉव एवं ढाणियों के विद्यार्थी अध्ययन हेतु आने लगे हैं। इसके अलावा उन गरीब परिवारों के विद्यार्थी जो अध्ययन हेतु अन्यत्र जाने में असमर्थ थे वे भी अपना अध्ययन जारी रखने से प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। दो कमरों एवं बरामदा निर्माण से छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो गई, जिससे उनको प्राकृतिक आपदाओं से छुटकारा मिल गया साथ ही खुले में बैठने से जो शिक्षण में बाधा होती थी वह भी दूर हो गई। इससे छात्रों व विद्यालय का शिक्षण स्तर बढने के साथ–साथ विद्यालय के माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने के अवसर भी प्राप्त हुए हैं।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सामुदायिक सभा भवन का निर्माण

जालौर जिले की भीनमाल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बागोड़ा यद्यपि यहां सभी जातियों के लोग निवास करते हैं। लेकिन यहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का बाहुल्य है। बागोड़ा ग्राम पंचायत के भीलों के बास में कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं था जहां ये लोग एकसाथ बैठकर मौहल्ले की कोई बैठक कर सकें। जब मौहल्ले वासियों को कोई सामुहिक कार्य/समस्या के लिये बैठक करनी होती थी तो किसी के घर पर या खुले में बैठकर ही काम चलाना पडता था तथा समुदाय के रिकार्ड इत्यादि को भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं थी। सामुदायिक भवन के अभाव के कारण भीलों के बास में लोगों को उठने बैठने व बैठक की समस्या होती थी।

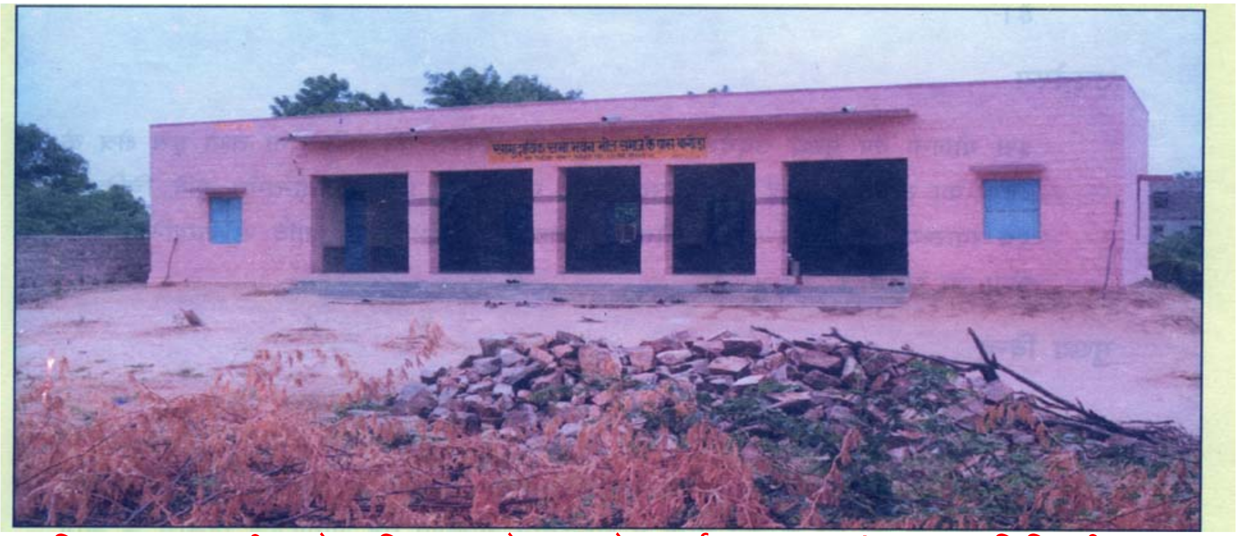

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अर्न्तगत ग्राम पंचायत समिति भीनमाल, जिला जालौर में सामुदायिक सभा भवन का निर्माण

इस समस्या से ग्राम वासियों ने माननीय विधायक महोदय को अवगत करवाया। विधायक महोदय ने भीलों का बास, निवासियों की समस्या को उचित मानते हुए सामुदायिक सभा भवन निर्माण के लिये 3.00 लाख रूपये की अनुशंसा की। विधायक महोदय की अनुशंसा के आधार पर जिला परिषद जालौर द्वारा सामुदायिक सभा भवन के निर्माण हेतु 3.00 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। कार्यकारी ऐजेन्सी ग्राम पंचायत होने के कारण स्थानीय लोगों की देखरेख में निर्माण कार्य करवाया गया, जिससे कार्य की गुणवत्ता अच्छी रही। यह कार्य दिनांक 29.05.2004 को पूर्ण हुआ। सामुदायिक सभा भवन के निर्माण पर 2,99,615/– रूपये व्यय हुए तथा निर्माण कार्य पर 1090 मानव श्रम दिवस लगे।

सामुदायिक भवन का निर्माण होने से भीलों का बास के लोगों को बैठने व सामाजिक कार्यो आदि से सम्बन्धित बैठके करने का स्थान मिल गया व शादी विवाह एवं अन्य सामाजिक उत्सवों में भी लोगों को रात्रि विश्राम करने हेतु उपयुक्त स्थान मिल गया। भील समाज के लोगों की बैठक की समस्या के निदान के साथ–साथ भील समाज के आस–पास के गॉवों के लोग भी इस सुविधा से बेहद प्रसन्न एवं संतुष्ट हैं। सामुदायिक भवन के निर्माण से भील समाज की बस्ती के सामाजिक स्तर में भी वृद्धि हुई है।

मेवात क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण

अलवर जिले की 14 पंचायत समितियों में से 8 पंचायत समितियॉ मेव बाहुल्य हैं। इन 8 पंचायत समितियों के 473 ग्रामों के विकास व जन कल्याण हेतु क्रियान्वित मेवात योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 में 158.29 लाख रुपये आवंटित किये गये थे जिस राशि से मेवात योजन्तर्गत इन क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य जिला परिषद/पंचायत समितियों द्वारा स्वीकृत किये जाकर पूर्ण करवाये गये। इन्हीं निर्माण कार्यों में से एक कार्य है, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ की ग्राम पंचायत चिमरावली गौड का उप स्वास्थ्य केन्द्र।

मेवात क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत चिमरावली, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर मे उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण

पंचायत समिति लक्ष्मणगढ की ग्राम पंचायत चिमरावली गौड में ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुरक्षा, जांच एवं अन्य प्रकार की बिमारियों के ईलाज हेतु कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। चिकित्सा सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को 15–20 किलामीटर की दूरी तय कर ईलाज कराने व स्वास्थ्य जांच के लिये आना जाना पडता था जिससे न केवल बीमार व्यक्ति को लाने व ले जाने में कठिनाई होती थी बल्कि परिवार पर भी आर्थिक भार व मानसिक दबाव रहता था। अतः क्षेत्र की आवश्यकता का देखते हुए वर्ष 2003–04 में मेवात योजनान्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु 2.50 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण का कार्य दिनांक 16.2.2004 को प्रारम्भ किया जाकर दिनांक 15.9.2004 को पूर्ण किया गया अर्थात केवल 7 माह की अवधि में उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया जिसमें चिकित्सा `स्टाफ हेतु एक बडा हॉल, बरामदा निर्माण, चौक निर्माण तथा सीढियां सम्मिलित है। यह उप स्वास्थ्य केन्द्र चिमरावली के गौउ ग्राम से मात्र 200–300 मीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग पर स्थित है। जिस स्थल पर इस केन्द्र का निर्माण कार्य करवाया गया है वहां पूर्व में एक गहरा चौडा गढ्ढा था जहां हमेशा पानी एकत्रित होता

रहता था। इस स्थान पर करीब 6–7 फुट मिट्टी का भराव कर उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करवाया गया है। मिट्टी का भराव मुख्य मार्ग से भी 1–2 फुट उंचाई तक किया गया है ताकि 400–500 मीटर की दूरी से भी यह भवन आसानी से नजर आ सके। स्वास्थ्य केन्द्र का मुख्य द्वार भी सडक मार्ग पर खुलता है जिससे आस पास के मरीजों को केन्द्र में आने में सुविधा रहती है। इस प्रकार उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्मित हो जाने से न केवल मरीजों की परिशानियां कम हुई है अपितु स्वास्थ्य केन्द्र में सभी प्रकार के ग्रामीणों जिसमें बूढे, बच्चे व महिलाएं सभी शामिल है, के नियमित स्वास्थ्य की जांच व अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध होने से साधारण ग्रामीण के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण से ग्रामीणों में प्रसन्नता व्याप्त है तथा वे सरकार के द्वारा किये गये इस कार्य के लिये आभारी है।

गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजनान्तर्गत सी.सी.रोड का निर्माण

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन में ग्रामीण जनता की भागीदारी के साथ प्रारम्भ की गई गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में काफी सफल रही है। वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ की गई इस योजना के प्रति लोगों में काफी उत्साह है। यही कारण है कि एक वर्ष से भी कम अवधि में योजनान्तर्गत कई काम पूरे कर लिये गये है। जन भागीदारी विकास योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में न्यूनतम 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 20 प्रतिशत राशि जन सहयोग से श्रम तथा नकद के रुप में प्राप्त की जाती है।

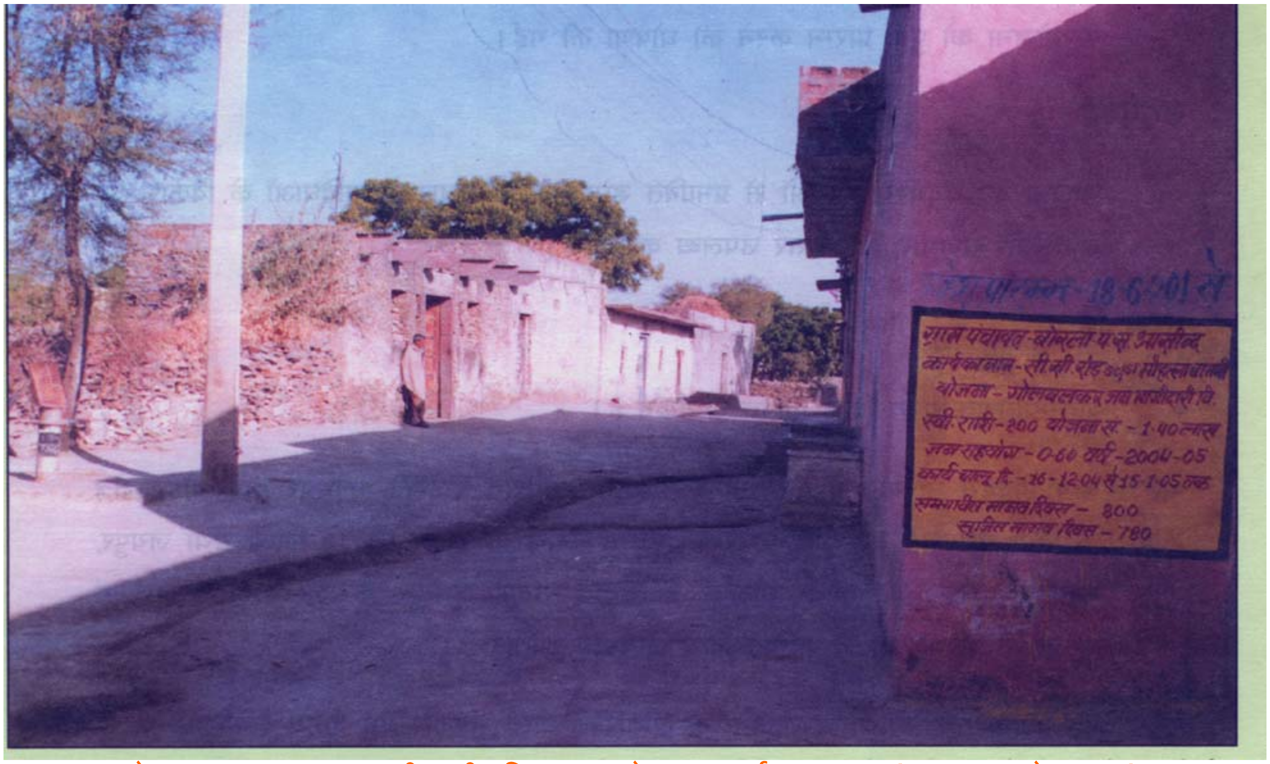

गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत बारेला, पंचायत समिति आसीन्द, जिला भीलवाड़ा में सी.सी.रोड का निर्माण

भीलवाडा जिले की आसीन्द पंचायत समिति में बारेला ग्राम पंचायत के बायनी ग्राम में अनुसूचित जाति, जन जाति के मोहल्लों में सडक न होने से रास्ते में काफी कीचड व पानी एकत्रित होने से लोगों के आवागमन में कठिनाई होती थी। मोहल्लेवासियों के जन सहयोग से वर्ष 2004–05 में 60,000 रुपये की राशि एकत्रित की गई और इसी योजना के तहत राज्य सरकार से 1.40 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार योजनान्तर्गत स्वीकृत 2. 00 लाख रुपये की राशि की लागत से अनुसूचित जाति, जन जाति के मोहल्ले में एक सी.सी. रोड का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया। सी.सी. रोड का कार्य रिकार्ड अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण कराया गया। कार्य दिनांक 16.12.2004 से प्रारम्भ किया जाकर मात्र एक माह की अवधि में अर्थात दिनांक 15.1.2005 तक पूर्ण कर लिया गया। उक्त कार्य के पूर्ण होने में 2.00 लाख रुपये की राशि व्यय हुई तथा 780 मानव दिवस सृजित हुए।

गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना–पक्का खाला निर्माण

हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत जण्डावाली के ग्राम 21 एलएलडब्लु, पंचायत समिति हनुमानगढ़ में खेतों में नहर से पानी देने के लिये कच्चे खाले का उपयोग किया जाता था। इससे काश्तकारों को पानी के रिसाव के कारण पर्याप्त मात्रा में फसलों हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो पाने के साथ साथ खेत को पानी पिलाने हेतु कई आदमियों की आवश्यकता पड़ती थी क्योंकि कच्चा खाला बार बार टूटने के कारण उसकी चौकसी हेतु परिवार के कई सदस्यों को देखभाल करनी पड़ती थी। 21 एलएलडब्लु ग्राम के सभी काश्तकार इस समस्या से ग्रस्त थे। समस्या से निजात पाने के लिये ग्रामीणों ने बैठक कर राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित गुरु गोलवरकर जन भागीदारी विकास योजना के तहत पक्के खाले का निर्माण करवाने का निर्णय लिया। निर्णय को कार्यरुप में परिणित करने के लिये ग्रामवासियों ने पंचायत समिति हनुमानगढ में सम्पर्क कर योजना के अन्तर्गत अपनी अंश राशि जमा करवायी। जिला परिषद द्वारा वर्ष 2005–06 में पक्के खाले के निर्माण हेतु 3.50 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई। स्वीकृति उपरान्त 16.11.2005 को कार्य आरम्भ किया जाकर दिनांक 30. 12.2005 को 34.65 फिट पक्के खाले का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत जण्डावाली, पंचायत समिति हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ में पक्का खाला निर्माण

कार्य पर कुल 3.50 लाख रूपये की राशि व्यय की गई जिसमें 2.45 लाख रूपये राज्य मद से एवं 1.05 लाख रूपये जन सहयोग के शामिल थे। पक्के खाले का निर्माण होने से पानी का रिसाव व बिखराव बंद होने के कारण काश्तकार पानी का समुचित उपयोग करने लगे तथा मानव शक्ति की भी कम आवश्यकता पडने लगी। काश्तकारों को कृषि भूमि में पानी भी अधिक मिलने लगा जिससे फसल पैदावार में वृद्धि की प्रबल संभावना को देखते हुए काश्तकारों ने सिंचाई का रकबा बढाकर अपनी आय में वृद्धि की है।

काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित कृष्णगंज एनीकट

विकास कार्य किये जाने की कोई सीमा नहीं है, ये सागर के समान अनन्त है। परन्तु क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जब कार्यों का चयन किया जाता है और उन कार्यों के सुफल जनता को मिलने लगते हैं तो आमजन में आत्म संतुष्टि के भाव जागृत होने के साथ–साथ सरकार के द्वारा किये जाने वाले विकासीय कार्यों के प्रति जागरुकता भी पैदा होती है और वे अपने क्षेत्र के चहुँमुखी विकास की ओर अग्रसर होने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। इसी कड़ी में कृष्णगंज क्षेत्र के लोगों की जागरुकता के कारण कृष्णगंज एनीकट न होकर क्षेत्र की जीवन रेखा बन गई है।

काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति सिरोही, जिला सिरोही में निर्मित एनीकट

पंचायत समिति सिरोही जिला सिरोही के अन्तर्गत कृष्णगंज क्षेत्र में मुख्यतया चौधरी, मेघवाल तथा रेबारी जाति के लोग रहते हैं तथा वहां की अर्थव्यवस्था पशुपालन एवं कृषि कार्य पर निर्भर है। जल के अधिकतम दोहन तथा हर वर्ष के अकाल के

कारण भू जल स्तर बहुत नीचे चला गया था। पानी के अभाव तथा वर्षा न होने के कारण इस क्षेत्र में फसल करना तो दूर की बात थी मानव तथा पशुओं के लिये पेयजल भी समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं था जिसके कारण किसानों, पशुपालकों, आमजन एवं पशुपक्षियों का जीवन संकटमय था। इस स्थिति में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत कार्य करने के लिये हुई बैठक में पंचायत समिति सिरोही के प्रधान श्री लुम्बा राम चौधरी ने कृष्णगंज के निकट नाले पर एनीकट बनाने का प्रस्ताव रखा जिस पर तकनीकी जानकारी प्राप्त कर विभागीय नियमों के अन्तर्गत स्वीकृति जारी करना अंधकार में एक चिंगारी बना।

राष्ट्रीय राजपथ के निकट ही कृष्णगंज एनीकट निर्माण के लिये रुपये 3.39 लाख की स्वीकृति जारी की गई। दिनांक 16 फरवरी 2005 को कार्य प्रारम्भ किया गया तथा 12 अप्रेल 2005 को कार्य पूर्ण किया गया। कार्य कम समय में पूर्ण कराया गया एवं उसकी गुणवत्ता भी उच्च कोटि की थी। साथ ही कार्य स्वीकृत राशि से भी कम लागत में पूर्ण करवाया जाकर 29,000/— रुपये की बचत की गई। कृष्णगंज एनीकट की ऊंचाई 1.8 मीटर, लम्बाई 17 मीटर तथा जलग्रहण क्षेत्र की लम्बाई 150 मीटर है। जुलाई—अगस्त, 2005 में वर्षा से एनीकट लबालब भर जाने के कारण आस—पास के 45 कृषकों को लाभ हुआ है जिनमें 25 अनुसूचित जाति के किसान थे। इसके साथ ही क्षेत्र के 25 कुओं का 15 फीट जलस्तर बढ़ा है। इस एनीकट के तहत 150 हैक्टर कृषि भूमि आती है जिसमें से 25 हैक्टर भूमि अनुसूचित जाति के कृषकों की है। कृष्णगंज एनीकट निर्माण से रबी में भरपूर पैदावार हुई है साथ ही एनीकट के आसपास की वृक्षावलियाँ सघन होने के साथ साथ क्षेत्र में हरियाली की चादर फैली हुई है। जिससे इनमें पशुपक्षियों की चहचाहट तथा मोर पपीहो की ध्वनि से भी क्षेत्र गुंजायमान हो उठा है। ग्राम पंचायत कृष्णगंज के सरपंच श्री हमीराराम मेघवाल ने इस एनीकट को क्षेत्र के लोगों के लिये वरदान बताया है।

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम –जलग्रहण खाताखेड़ी

खाताखेड़ी जलग्रहण स्वीकृत होने से पूर्व जलग्रहण क्षेत्र में भूमि का कटाव तथा पानी के बहाव को रोकने की व्यवस्था न होने के कारण उपलब्ध भूमि पड़त/अनुपयोगी थी। इसके अलावा वर्षा का पानी बहकर जाने से भूमि का कटाव व वर्षा ऋतु के बाद पशुओं के लिये पीने का पानी भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता था तथा आस–पास के पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे। इन सब कठिनाईयों से निजात पाने के लिये क्षेत्र वासियों द्वारा खाताखेड़ी जलग्रहण को स्वीकृत कराने के प्रयत्नों के फलस्वरुप झालावाड़ जिले की पंचायत समिति मनोहरथाना में वर्ष 2002–03 में बंजर भूमि विकास योजना के अन्तर्गत खाताखेड़ी जलग्रहण स्वीकृत किया गया। जल ग्रहण हेतु स्वीकृत राशि 30.00 लाख रुपये से 500 हैक्टर भूमि उपचारित की जावेगी।

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति मनोहरथाना, जिला झालावाड़ में खताखेडी जलग्रहण निर्माण कार्य

योजना के दिशा निर्देशों के अनुरुप परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर तत्कालीन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झालावाड़ को प्रस्तुत की, जिसकी स्वीकृति उपरान्त जलग्रहण विकास दल के लीडर द्वारा ग्राम सभाओं का आयोजन कर संस्थागत व्यवस्थाओं यथा उपभोक्ता समूह, स्वयं सहायता समूह, जलग्रहण संस्था एवं जलग्रहण समिति का गठन किया गया। जलग्रहण संस्था एवं समिति के गठन के उपरान्त हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, अकलेरा में परियोजना का खाता खुलवाया गया। जलग्रहण संस्था की साधारण बैठक कर क्षेत्र में अतिआवश्यक विकास कार्यों तथा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों की आवश्यकता के अनुरुप वर्षवार प्रावधानों एवं विभागीय दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वरीयता से कमेटी द्वारा कराये गये। इन कार्यों से मात्र ढाई वर्ष में ही जलग्रहण क्षेत्र में अच्छे परिणाम सामने आने लगे। सर्वप्रथम जलग्रहण क्षेत्र में कृषि भूमि, कृषि अयोग्य भूमि एवं नाला में मृदा कटाव रोकने एवं पानी के संरक्षण हेतु पत्थरों के चैकडेम एवं मिट्टी के बंड के कार्य करवाये जाने से भूमि में मृदा एवं जल का संरक्षण हुआ एवं जमीन में नमी रहने के परिणामस्वरुप फसल का उत्पादन भी बढ़ा। कृषि भूमि में जिन कृषकों के यहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी उनको परियोजना से ग्राफ्टेड संतरा, आंवला के 2000 पौधे एवं सब्जी बीज के 100 मिनिकिट वितरित किये गए जिससे कृषक फसल के साथ साथ फल एवं सब्जी का उत्पादन कर अपनी आय बढाने में सक्षम हुए हैं। बैर बंडिंग कार्यक्रम 50 कृषकों के किये जाने के कारण बैर की उत्पादकता व साईज में बढ़ोतरी हुई है। कृषि वानिकी कार्यक्रम के तहत 2000 पौधे ग्रामीणों को वितरित किये गये जिनके लगने से क्षेत्र में पूरे वर्ष हरियाली आच्छादित रहने लगी है।

अकृषि योग्य भूमि एवं नाला के मध्य तीन तलाइयों का निर्माण होने से इन तलाइयों से ग्रामवासियों एवं पशुओं को पेयजल उपलब्ध हुआ है एवं भूमिगत जलस्तर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

जलग्रहण क्षेत्र में अकृषि योग्य भूमि पर मृदा कटाव ने नाले का रुप ले लिया था जिसके उपचार हेतु मिट्टी व पत्थरों के चैक डेम बनाये गए तथा वर्ष 2005–06 में सीमेंट के 2 पक्के स्ट्रेक्चर बनाये गए। इन एनीकटों से 19 कृषक लाभांवित हुए है।

कृषकों ने अपनी फसल की सिंचाई कर व रकबा बढाकर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अरण्डी, रतनजोत व स्टाइलो हमेटा घास की बुवाई होने से कृषकों को अतिरिक्त आय भी उपलब्ध हुई है। भूमि में नमी उपलब्ध रहने तथा पेड़ पौधों एवं घास फूस उपलब्ध होने के कारण सामुदायिक संगठन मद में वर्मी कम्पोस्ट खाद के तहत श्री अमृत लाल पुत्र श्री रामचन्द्र माली ने कैंचुएँ की खाद द्वारा 2 पर्ष में अफीम, लहसुन व प्याज की खेती में इसका उपयोग लिया जिससे इनको 80,000 रुपये की अतिरिक्त आय में वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाताखेड़ी जल ग्रहण ने कृषकों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर में सुधार किया है।

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत डेयरी उप–परियोजना – आरती

झालावाड़ जिले की झालरापाटन पंचायत समिति के मोगरा ग्राम के गरीब परिवारों के 17 व्यक्तियों ने ''आरती'' समान रुचि समूह के नाम से समूह गठित किया। इस समूह में 5 पुरुष एवं 12 महिलाऐं सम्मिलित हैं। समूह के सदस्यों को पशुपालन का पर्याप्त अनुभव था, परन्तु गांव में अच्छी नस्ल के दुधारु पशु उपलब्ध न होने के कारण यह सभी सदस्य खेतीहर मजदूर के रुप में कार्य करते थे। इससे इनकी आवश्यक जरुरतों की पूर्ति भी बहुत कठिनाईयों से होती थी।

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना अन्तर्गत पंचायत समिति झालरापाटन, जिला झालावाड़ में डेयरी उप परियोजना

समान रुचि समूह की अध्यक्ष श्रीमती अजीत बाई ने बताया कि समूह के सदस्यों ने डीपीआईपी का नाम सुन तो रखा था परन्तु पूर्ण जानकारी डेयरी के प्रोजेक्ट फेसीलेटिशन टीम पी.एफ.टी. द्वारा दी गई, तथा इससे जुडने हेतु प्रेरित किया गया। दिनांक 3.10.2003 को डेयरी पी.एफ.टी. ने समूह के गठन का प्रस्ताव तैयार कर

अनुमोदन हेतु डी.पी.एम.यू. कार्यालय डीपीआईपी झालावाड को प्रेषित किया। तत्पश्चात डी.पी.एम.यू. कार्यालय से दिनांक 17.10.2003 को ''आरती'' समान रुचि समूह ग्राम मोगरा का अनुमोदन किया गया।

डेयरी विशेषज्ञों ने समान रुचि समूह के अनुमोदन की जानकारी समूह सदस्यों को दी एवं उप–परियोजना तैयार करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया। सदस्यों ने डेयरी के विशेषज्ञ की मदद से एक उप–परियोजना तैयार की जिसकी कुल लागत 719712 रु. थी। जिसमें लाभार्थी अंशदान कुल 120700 रु. था। उप परियोजना डीपीएमयू, डीपीआईपी, झालावाड कार्यालय में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जमा करवायी गई जिसकी दिनांक 19.12.2003 को स्वीकृति प्रदान की गई। समूह ने प्रथम किश्त का अंशदान झालावाड केन्द्रीय सहकारी बैंक, भवानीमण्डी में समूह के बैंक खाते में जमा करवाया। अंशदान जमा कर समूह द्वारा एम.ओ.यू. करने के पश्चात डीपीआईपी द्वारा दिनांक 26.12.2003 को समूह के खाते में 597012 रुपये की राशि जारी कर दी गई।

तत्पश्चात् समूह द्वारा गठित क्रय समिति के सदस्यों ने मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा से डेयरी विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में पूर्ण रुप से दुग्ध उत्पादन देखकर स्वस्थ एवं दुधारु पशु क्रय किये। भैंस खरीद के पश्चात योजनान्तर्गत समूह के सदस्यों ने चारा कुट्टी मशीन एवं पशु घर हेतु टीन शेड खरीदे।

भैंस गांव में आने के पश्चात समूह के सदस्यों ने अपने पशु प्राप्त कर उनका दुग्ध कुछ तो घरेलू उपयोग में लिया तथा शेष दुग्ध ग्राम में संचालित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति पर एवं स्थानीय बाजार में विक्रय करने लगे। जिसके फलस्वरुप समूह के प्रति सदस्य को 1500 से लेकर 2000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त आय होने लगी।

समान रुचि समूह के कोषाध्यक्ष श्री धूल सिंह ने बताया कि उसने दुग्ध उत्पादन द्वारा प्राप्त आय से पंचायत समिति, डग में स्थित फार्म हाउस से एक मुर्रा पाड़ा क्रय किया, जिसके फलस्वरुप भविष्य में गांव की भैंसों को गर्भाधान हेतु किसी अन्य गांव में नहीं ले जाना पडेगा। ''नस्ल सुधार के क्षेत्र में स्वयं समूह के सदस्य की ओर से उठाया गया यह एक सराहनीय कदम है।''

****